

सेवा में,

सभी केन्द्र सरकार के विभागों / राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों / विश्वविद्यालय,

वि-नय :- योजना आयोग में सलाहकार (ग्रामीण विकास) के एक पद पर पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिस में अल्पावधिक अनुबंध शामिल है) / सीधे भर्ती द्वारा भर्ती ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना आयोग में पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति (जिस में अल्पावधिक अनुबंध शामिल है) अथवा सीधे भर्ती के तीनों पद्धतियों में से कोई एक के द्वारा सलाहकार (ग्रामीण विकास) का एक पद को भरने का प्रस्ताव है । उक्त पद हेतु योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं और सभी आवेदनों पर एक-साथ विचार किया जायेगा तथा नियुक्ति के लिए अधिकारी की उपयुक्तता और उपलब्धता के आधार पर चयन के समय नियुक्ति का सही-सही तरीका निश्चित किया जाएगा ।

2. केन्द्र / राज्य सरकार के विभागों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों / विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं / सार्वजनिक उपक्रमों / अर्ध सरकारी / सांविधिक एवं स्वायत्त संगठनों में कार्यरत अधिकारी तथा विभागीय संयुक्त सलाहकार, जो अनुबंध में दिए गए शर्तें पूरी करते हैं, एक साथ विचार किया जाएगा । यदि कोई विभागीय अतिरिक्त सलाहकार/ संयुक्त सलाहकार नियुक्ति के लिए चुना जाता है तो उनकी नियुक्ति प्रोन्नति पर मानी जाएगी । अन्य अभ्यर्थियों के संबंध में उन पर प्रतिनियुक्ति अथवा सीधे भर्ती के लिए, जैसी स्थिति हो, विचार किया जाएगा ।

3. पद से संबंधित वेतनमान, पात्रता की शर्तें, अर्हताएं एवं अनुभव तथा पद से संबद्ध कार्यों का विवरण अनुलग्नक में दर्शाए गए हैं ।

4. केन्द्र / राज्य सरकारों के मंत्रालयों / विभागों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध है कि इस रिक्ति को अपने अधीन कार्यरत समुचित स्तर के सरकारी उपक्रमों / अर्ध सरकारी / सांविधिक एवं स्वायत्त संगठनों तथा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों सहित, सभी अधिकारियों के लिए व्यापक प्रचार करें ।

5. उन अधिकारियों के आवेदनों को जो पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हों और जिन्हें चयन की सूचना की तारीख से एक माह की अवधि के अंतर्गत कार्यग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त किया जा सकता हो, उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षर करवा कर तथा कार्यालय प्रधान या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया गया प्रासंगिक प्रपत्र अर्थात् परिशि-ट 1 अथवा परिशि-ट 2 में, यथा प्रासंगिक, पूर्ण रूप से भरकर निम्नलिखित दस्तावेजों सहित (दो प्रतियों में) अग्रेनित किया जाए :-

- (i) संबंधित उम्मीदवार का अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर अथवा पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियाँ जो कि एक ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों जो भारत सरकार के अवर सचिव से कम स्तर का ना हों,

- (ii) किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम न हो, के द्वारा हस्ताक्षर किया गया (निर्धारित प्रपत्र में) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र,
- (iii) सतर्कता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित है और न ही अपेक्षित है (केवल ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन भेजें जो सतर्कता दृष्टि से मुक्त हो) , तथा
- (iv) विगत 10 वर्षों के दौरान उम्मीदवार पर लगाए गए बड़े / छोटे दंडों की सूची, यदि कोई हो अथवा दंड नहीं प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रपत्र में), यथा प्रयोज्य ।

6. कृपया यह ध्यान में रखा जाए कि परिशि-ट-1 उनके लिए है जो सीधे भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जबकि परिशि-ट-2 उनके लिए है जो पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं । यदि कोई उम्मीदवार प्रतिनियुक्ति और सीधे भर्ती दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वे सुसंगत प्रपत्र में अलग-अलग आवेदन भेजेंगे ।

7. यह रिक्ति रोजगार समाचार में भी शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी । आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन होगी ।

8. आवेदन कर्ता यह सुनिश्चित करें कि उनका आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में है तथा पूर्णरूप से भरा हुआ हो। प्रपत्र का कोई भी स्तंभ खाली नहीं होना चाहिए । यदि कोई सूचना अप्रयोज्य या शून्य हो तो कृपया इसे स्प-ठ करें । केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो संपूर्ण हों और अपेक्षित दस्तावेजों सहित उचित माध्यम द्वारा अंतिम तिथि या उससे पहले इस कार्यालय में प्राप्त हों । अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त अथवा गैर-प्रपत्र अथवा असंपूर्ण अथवा अग्रिम आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

भवदीय,

(कै.के. छाबड़ा)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभा-न : 23096531

सूचनार्थ प्रतिलिपि प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष, योजना आयोग के निजी सचिव
2. सचिव, योजना आयोग के निजी सचिव
3. सभी प्रभागाध्यक्ष, योजना आयोग
4. संयुक्त सचिव (प्रशासन), योजना आयोग
5. सूचना पट्ट

(कै.के. छाबड़ा)  
अवर सचिव, भारत सरकार

योजना आयोग में सलाहकार (ग्रामीण विकास) के पद को पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक अनुबंध सहित) / सीधे भर्ती द्वारा भरने के लिए पात्रता की शर्तों का ब्यौरा : -

1. वेतनमान : 18400-500-22400 रु.

2. पद से संबद्ध कार्य :

- (i) ग्रामीण विकास क्षेत्र के ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण सड़क, जल आपूर्ति एवं मलनिकासी जैसे और समैकिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवहार रोजगार योजना आदि जैसे विभिन्न विशेष-ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में नितियाँ तैयार करना ।
- (ii) ग्रामीण विकास क्षेत्र के पंचवर्षीय योजनायें और वार्षिक योजना प्रस्तावों के मामले में योजना आयोग को सलाह देना ।
- (iii) परियोजनाओं का अंकन, मानीटरण तथा मूल्यांकन सहित ग्रामीण विकास क्षेत्र के विभिन्न परियोजनाओं के लिए आबंटन हेतु राज्य सरकारों और मंत्रालयों से प्राप्त प्रस्तावों का परिक्षण करना ।
- (iv) इस क्षेत्र से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों और मंत्रालयों से समन्वय करना ।
- (v) ग्रामीण विकास क्षेत्र में अनुसंधान करना, अनुसंधान का मार्गदर्शन करना तथा निरीक्षण करना ।
- (vi) संसदीय कार्य, अन्तर्मंत्रालय बैठकों में हिल्ला लेना, योजना आयोग के तहफ से ग्रामीण विकास क्षेत्र से संबंधित गो-ठीयों, चर्चाओं में भागलेने जैसे सहित ग्रामीण विकास विभाग के सिभी कार्य करना ।

3. अर्हताएं (आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि को निर्धारित की जाएंगी) :

1. प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)

1. केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकारों / संघ राज्य प्रशासनों / विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं / लोक उपक्रमों / अर्धसरकारी / सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी जो -
  - (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, या  
(ii) 16400-450-20000 रु. के वेतनमान वाले पदों पर दो वर्ग नियमित सेवा की हों, या  
(iii) 14300-400-183000 रु. के वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ग नियमित सेवा की हों, और
  - (ख) मद संख्या 4 में दिए गए सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।
2. ऐसे आचार्य, जिन्होंने 16400-22400 रु. के वेतनमान में दो वर्ग नियमित सेवा की है और जिनके पास मद संख्या 4 में दिये गए सीधे भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, भी आवेदन भेजने के लिए योग्य होंगे ।

2. पदोन्नति :

14300-400-18300 रू. वेतनमान में ऐसे विभागीय संयुक्त सलाहकार जिन्होंने उक्त ग्रेड में नियमित नियुक्ति के बाद तीन वर्ग की सेवा की हों और मद संख्या 4 में दिए गए सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

4. पद के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव (सभी प्रकार की भर्ती पद्धतियों अर्थात् पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) / सीधे भर्ती के लिए प्रयोज्य) :

अनिवार्य :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से, अधिमानतः सामाजिक शास्त्र में, मास्टर डिग्री या समतुल्य ।
- (ii) केन्द्र / राज्य सरकार अथवा सरकार के स्वायत्त संस्थाओं अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में उत्तरदायित्व क्षमता वाले पद पर 15 वर्ग का अनुभव जिसमें से 10 वर्ग का अनुभव ग्रामीण विकास क्षेत्र का हो ।

वांछनीय :

ग्रामीण विकास क्षेत्र में अनुसंधान या उससे संबंधित कार्यों में लगे हुए संस्थाओं में उच्च स्तर पर काम करने का अनुभव ।

5. आयु सीमा (आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि को) :

- (1) प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्ति की तिथि को 56 वर्ग ।
- (2) सीधे भर्ती पर नियुक्ति के लिए अधिमानतः 50 वर्ग से कम (सरकारी कर्मचारी के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार 5 वर्गों तक की छूट दी जाएगी) ।

6. प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि :

प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में अथवा किसी संवर्ग बाह्य पद पर इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, सामान्यतया पाँच वर्ग से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति की शर्तें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.2/29/91-स्था.(पी.2) में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे तथा अनुबंध पर आने वालों के मामलों में, शर्तें संबद्ध प्राधिकरण के परामर्श से तय की जाएंगी ।

आवेदन प्रपत्र (सीधे भर्ती के लिए)

आवेदन दो प्रतियों में फोटोप्रति कागज (ए-4 साईज) पर (शुद्ध रूप से टंकण किया गया) निम्न विवरणों को देती हुई, होनी चाहिए ।

पासपोर्ट आकार की  
फोटो चिपका कर  
हस्ताक्षर करें ।

1. आवेदित पद
2. पूरा नाम
3. जन्म तिथि
4. रा-ट्रीयता
5. पिता / पति का नाम
6. पत्राचार के लिए पता और दूरभा-न संख्या, यदि कोई हो तो
7. क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति से संबंधित हैं
8. शैक्षिक / व्यावसायिक अर्हताएं (उत्तीर्ण परीक्षा, विश्वविद्यालय / बोर्ड, उत्तीर्ण करने का वर्-क, श्रेणी / डिग्री, वि-य इत्यादि के बारे में स्प-ट करें)
9. वर्तमान में धारित पद से शुरू करते हुए, वर्तमान / पूर्व रोजगार का कालानुक्रमिक विवरण (नियोजक का नाम, पूरा पता, धारित पद, सेवा अवधि, कार्य स्वभाव इत्यादि सहित)
10. प्रकाशित प्रतिवेदन / लेख
11. चुने जाने पर पदभार ग्रहण करने के लिए वांछित न्यूनतम कालावधि
12. उल्लेख सहित और कोई अन्य सूचना जो देना चाहे

तिथि :

हस्ताक्षर

स्थान :

आवेदन प्रपत्र [ पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) के लिए]

1. नाम
2. जन्म तिथि
3. अधिकारी पर लागू सेवा नियमों के अनुसार सेवा निवृत्ति की तिथि
4. (क) यदि संगठित सेवा से संबद्ध हैं, तो उसका नाम, संवर्ग आबंटन का सन (ख) संवर्ग नियंत्रण प्राधीकरण का नाम

5. शैक्षिक अर्हताएं :

निर्धारित अर्हताएं

अधिकारी द्वारा धारित अर्हताएं (केवल उन्हीं अर्हताओं को दर्शाएं जो निर्धारित अर्हताओं के समकक्ष हो अथवा उच्च हो)

आवश्यक (1)

(2)

(3)

वांछनीय (1)

(2)

(3)

टिप्पणी : यदि अधिकारी की अर्हता वही नहीं है जो निर्धारित है या निर्धारित अर्हता से उच्च है और निर्धारित अर्हता के समतुल्य मानी जाती है, तो उस संबंध में प्राधीकरण का नाम बताएं ।

6. अधिकारी ने यदि कोई प्रशिक्षण लिया हो जिसका आवेदन किए गए पद से संबद्ध हो

संबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि	संगठन का नाम जहाँ	प्रशिक्षण कार्यक्रम का
अभ्युक्तियाँ	से	तक	प्रशिक्षण लिया स्वरूप

7. (1) वर्तमान पद जिस पर कार्यरत हैं

(2) पूरा वेतनमान

(3) वर्तमान वेतन यदि कोई है

(4) विशेष वेतन यदि कोई है

टिप्पणी : यदि अधिकारी कोई विशेष वेतन प्राप्त करता है तो कृपया निम्नलिखित सूचना भी दी जाए :

(क) क्या विशेष वेतन से जुड़ी हुई नियुक्ति सावधि नियुक्ति है, तथा

(ख) क्या विशेष वेतन पद के लिए अलग वेतनमान के लिए वेतनमान के अतिरिक्त विशेष रूप से स्वीकृत किया गया है

(5) क्या आप इस पद पर नियमित या तदर्थ आधार पर अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं ?

(6) किस तारीख से इस पद पर हैं ?

(7) यदि नियमित वर्तमान पद पहले तदर्थ आधार पर है तो पद पर नियमित होने का तारीख

8. यदि वर्तमान पद पर नियमित आधार पर नहीं हैं तो

(क) नियमित आधार पर धारित पद

(ख) उसका वेतनमान

(ग) किस तारीख से नियमित आधार पर हैं

9. पद जिस पद पर आधिकारी स्थाई क्षमता धारित करता है

10. 1. यदि वर्तमान पद समकक्ष है तो

(क) क्या वर्तमान पद कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 07-03-1984 के का.ज्ञा.सं.19017 / 27 / 75-स्थापना(डी)-भाग की शर्तों के अनुसार एक सदृश पद है

-/-

- (ख) पद से संबद्ध कार्य  
(ग) यदि वर्तमान पद जिसे एक सदृश पद माना गया है गैर-केन्द्रीय सरकारी कार्यालय में है, तो इस संबंध में निम्नलिखित सूचना दी जाए :
- (1) वेतनमान के पिछले संशोधन की तारीख
  - (2) क्या केन्द्रीय महंगाई भत्ता / औद्योगिक महंगाई भत्ता मिलता है
  - (3) वेतनमान के न्यूनतम पर ग्राह्य महंगाई वेतन इत्यादि की धनराशी
    - महंगाई वेतन
    - महंगाई भत्ता
    - अंतरिम राहत

2. यदि वर्तमान पद एक सदृश पद नहीं है तो

- (क) दिनांक जिससे 14300-18300 रु. / 16400-2000 रु. / 18400-22400 रु. या 16400-22400 रु. (प्रोफेसरों के संबंध में) वेतनमान का पदभार ग्रहण किया
- (ख) यदि उम्मीदवार किसी गैर सरकारी कार्यालय में कार्यरत है तो
- (1) पूर्ण वेतनमान जो कि दिनांक जिससे 14300-18300 रु. / 16400-2000 रु. / 18400-22400 रु. या 16400-22400 रु. (प्रोफेसरों के संबंध में) वेतनमान के समकक्ष हो
  - (2) वेतनमान की अंतिम संशोधन की तारीख
  - (3) क्या केन्द्रीय महंगाई भत्ता / औद्योगिक महंगाई भत्ता मिला है
  - (4) वेतनमान के न्यूनतम पर ग्राह्य महंगाई वेतन इत्यादि की धनराशी
    - महंगाई वेतन
    - महंगाई भत्ता
    - अंतरिम राहत

11. सेवाओं का विवरण :

पद का नाम	न्योक्ता का नाम	अवधि	वेतनमान	कार्यभार का स्वरूप
		से	तक	

12. चयन क्षेत्र में आवश्यक अनुभव

टिप्पणी : कृपया अनुसंधान / विकास / अभिकल्पना / योजना में अथवा परियोजनाओं / योजनाओं के प्रतिपादन / कर्मानिनापादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के प्रकाशित कार्य की प्रतियों को प्रस्तुत करें।

13. पिनकोड एवं दूरभाष सहित वर्तमान डाक पता

14. क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंध है

15. अन्य संबंध सूचना

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

प्रेरित करने वाले कार्यालय के प्रयोग के लिए

सं. :

दिनांक :

उपरोक्त इंदराजों की जांच की गई है और इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार सही पाए गए हैं।

हस्ताक्षर :

नाम :

कार्यालय की मोहर :

मुख्य टिप्पणी : आवेदक अपने इच्छा के अनुसार प्रतिनियुक्ति अथवा सीधे भर्ती के लिए निर्धारित अलग अलग प्रोफार्मा में से प्रत्येक मामले में लागू प्रोफार्मा में अपना आवेदन (दो प्रतियों में) भेजेंगे। प्रतिनियुक्ति और सीधे भर्ती दोनों के लिए विचारार्थ आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन सुसंगत और उपयुक्त प्रपत्र में अलग अलग



भेजेंगे और आवेदन कर्ता अपने आवेदन के ऊपरी पंक्ति में यह सुस्प-ठ लिखें कि वे किस पद्धति के लिए आवेदन करना चाहते हैं ।

\*\*\*

प्रतिनियुक्ति आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए  
अपेक्षित प्रमाणपत्रों के प्रपत्र

सत्यनि-ठा प्रमाण पत्र

योजना आयोग में सलाहकार (ग्रामीण विकास) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके, डा/श्री/श्रीमती/सुश्री \_\_\_\_\_ के वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की संवीक्षा करने के बाद यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनि-ठा संतो-जनक है ।

(उप सचिव या उससे उच्च स्तर के अधिकारी  
के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए)  
नाम और कार्यालय की मोहर :  
दिनांक :

सतर्कता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग में सलाहकार (ग्रामीण विकास) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके, डा/श्री/श्रीमती/ सुश्री \_\_\_\_\_ के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित है और न ही अपेक्षित है ।

(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)  
नाम और कार्यालय की मोहर :  
दिनांक :

दंड नहीं प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग में सलाहकार (ग्रामीण विकास) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके डा/श्री/श्रीमती/ सुश्री \_\_\_\_\_ पर पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई दंड नहीं लगाया गया ।

(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)  
नाम और कार्यालय की मोहर :  
दिनांक :

\*\*\*\*\*